राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—89 / 2025

गोविन्द कुमार शर्मा

—अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. अति.मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालयय प्रारम्भिक अलवर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजपुर छोटा, रेणी, अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :—06.02.2025

<u>उपस्थित —</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :—विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में इस अपील में अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.12.2024 को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बैरवा बस्ती, माचेडी रेणी से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पुन्दारा, रेणी में किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2025 पारित कर स्थानान्तरण आदेश की क्रियान्विति अधिकरण के आगामी आदेशों तक स्थगित रखे जाने के आदेश दिये थे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि वे अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अधिकरण के अंतरिम स्थगन आदेश को निरस्त करवाना चाहते है और अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसकी उन्हें स्वीकृति दी जाए। ताकि अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर उसके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा उचित निर्णय पारित किया जा सके।
2. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा किये गये निवेदन है इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2025 को अपास्त किया जाता है

और अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

3. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष